रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1928] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2014/भाद्र 31, 1936
No. 1928] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2014/BHADRA 31, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2014

का.आ. 2450(अ).—जबकि केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् के चुनाव 29 दिसम्बर, 2012 को हुए थे और डॉ. पटेल जयेश कुमार खेमाभाई और डॉ. भरोलिया जादवजीभाई मुलजीभाई के चुनाव के परिणाम दिनांक 5 जुलाई, 2014 के का.आ. संख्या 2082(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड **3,** उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे;

2. और जबकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् के चुनाव में हुई अनियमितताओं के आरोपों की जांच करवाई है और जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त चुनाव रद्द कर दिए गए हैं।

3. अत:, अब केंद्रीय सरकार सामान्य धारा अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग की उक्त अधिसूचना को, इस प्रकार रद्द किए जाने से पूर्व की गई अथवा किए जाने के लिए लोप की गई बातों को छोड़कर, एतद्वारा रद्द करती है।

4. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं. जेड. 28016/02/2013-एचपीसी/(सीसीएच निर्वाचन)]

राज प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2014

S.O. 2450(E).—Whereas the election for the Central Council of Homoeopathy was held on the 29th December, 2012 and the result of election of Dr. Patel Jayeshkumar Khemabhai and Dr. Bharolia Jadavjibhai Muljibhai has been published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2082(E), dated the 5th July, 2013;

2. And whereas the Central Government had conducted an enquiry into the allegation of irregularities in the election to the Central Council of Homoeopathy and on receipt of the report of the enquiry, the said election is cancelled;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the said notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

4. This notification shall come in to force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. Z. 28016/02/2013/HPC (CCH Election)]

RAJ PRATAP SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.